अध्याय 7

J7SC1U

cPpk d vf/kdkj

fp=&7-1 हम सब बराबर

पिता जी के घर पहुँचते ही लखन और राधा उनके पास दौड़कर आए और प्रदर्शनी दिखाने की जिद करने लगे। उन्होंने बताया कि तिलक मैदान पर 'हमारे अधिकार' प्रदर्शनी लगी है और गुरु जी ने उसे देखने को कहा है।

थोड़ी देर बाद पिता जी और दोनों बच्चे प्रदर्शनी देखने चल पड़े। राधा ने पूछा –"वहाँ झूले भी होंगे ना?'' लखन ने उत्तर दिया– ''नहीं, नहीं वहाँ तो बहुत–से चित्र हैं और मानव अधिकारों से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ।" 'पिता जी', राधा बोली, क्या बच्चे भी मानव होते हैं?" पिता जी उसके प्रश्न पर चौंक गए। उन्होंने हड़बड़ा कर जवाब दिया, "हाँ,हाँ क्यों नहीं। हम सब चाहे बड़े–बूढ़े हों या छोटे बच्चे, स्त्री हों या पुरुष, मानव तो हैं ही। बच्चों, एक बात और है, हम सब चाहे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हों, चाहे जिस प्रांत में रहते हों, अमीर हों या गरीब, बराबर हैं।

fp=&7-2

सभी नागरिकों को दमन, शोषण व अत्याचार से संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे देश व राज्यों के स्तर पर मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय रायपुर में हैं।

लखन ने कहा–"पिता जी तब तो बच्चों को भी बड़ों के समान सभी अधिकार प्राप्त होंगे।" हाँ,बिल्कुल, "पिता जी ने सहमति दी, तुम प्रदर्शनी देखकर और अच्छी तरह जान जाओगे।"

प्रदर्शनी में बहुत चहल–पहल थी। बाहर द्वार पर लिखा था "छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग आपका स्वागत करता है।"अन्दर जाने पर उन्हें कई चित्र दिखे। पिता जी उन्हें चित्र समझाते जा रहे थे, विशेष रूप से वे चित्र जो बच्चों से सम्बधित थे।

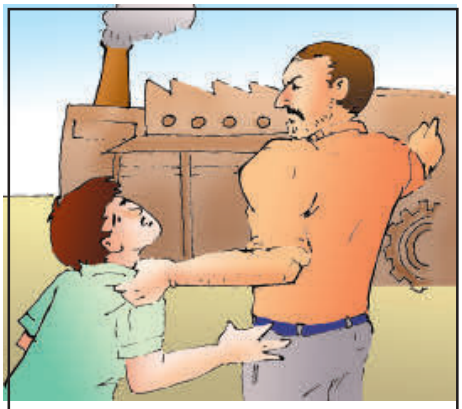

fp=&7-3

'पिता जी, देखो पतंग उड़ाते बच्चे,' दोनों बोल पड़े। उन्हें यह चित्र बहुत भाया। पिता जी ने उन्हें समझाया कि सभी बच्चों को खेलने व मनोरंजन का अधिकार है। बच्चों को इससे वंचित नहीं करना चाहिए। खेलते हुए बच्चे कितने खुश रहते हैं।

"पिता जी, यह आदमी इन बच्चों को पकड़कर खींच क्यों रहा है ?"राधा की आवाज में व चेहरे पर दुख था। "बेटी कुछ लोग छोटे–छोटे बच्चों से कठोर मेहनत और मजदूरी करवाते हैं, जो गलत हैं।" लखन से रहा न गया उसने बताया कि कई बच्चे पटाखे बनानेवाले कारखानों में काम करते हैं और कभी–कभी वे दुर्घटनाओं के शिकार भी हो जाते हैं। राधा ने लखन की बात का समर्थन करते हुए बताया, ''मैंने भी दूरदर्शन पर देखा है की स्लेट पेन्सिल बनाने के काम में लगे कई बच्चे बीमार हो जाते हैं। पिता जी खुश थे कि प्रदर्शनी का बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा था।

fp=&7-4

भैया, चित्र में देखो छोटी–सी गुड़िया, पर यह तो रो रही है और देखो इसका भाई अपनी माँ के हाथों से दूध पी रहा है।" राधा को यह ठीक नहीं लगा। लखन ने उसे समझाया कि कुछ लोग लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। राधा अपने भाई के कंधे पर हाथ रखकर बोली, "अपनी माँ तो ऐसा नहीं करतीं, कितनी अच्छी हैं हमारी माँ।"

तीनों आगे बढ़कर दूसरे चित्र देखने लगे। अब राधा और लखन को हर चित्र अपने आप समझ में आने लगा। वे चित्र देखते और पिता जी को बताते कि उसमें किस अधिकार की बात कही गई हैं।

घर आकर दोनों ने माँ को वे सारे अधिकार बताए जो बच्चों को प्राप्त हैं और उन्हें मिलने ही चाहिए :–

1. प्यार पाने और देखभाल व स्वास्थ्य का अधिकार ।
2. भोजन और आश्रय का अधिकार।
3. खेलने व मनोरंजन का अधिकार।
4. अत्याचार व शोषण से बचाव का अधिकार।
5. भारी मेहनत व मजदूरी से बचाव का अधिकार।
6. शिक्षा पाने का अधिकार।
7. बिना किसी भेदभाव (जाति, वर्ग, धर्म, लिंग) के समानता का अधिकार।

J8283H

fp=&7-5

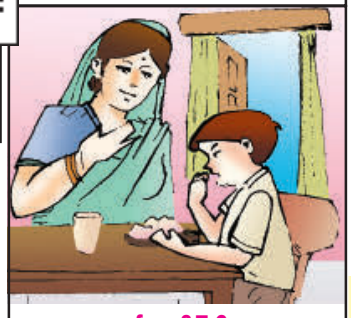

fp=&7-6

माँ ने प्यार से दोनों को रोकते हुए कहा – "अरे बस, बस। मुझे मालूम है तुमने प्रदर्शनी बहुत ध्यान से देखी है। तुम तो यह बताओ कि ये सब अधिकार तुमको हमने दिए या नहीं ?" अपनी माँ से बाल अधिकार की बातें सुनकर दोनों बच्चे एक–दूसरे का मुँह देखने लगे।

माँ ने बताया कि ''निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009'' संसद द्वारा अगस्त 2009 में पारित हुआ तथा 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया है। यह अधिनियम बच्चे को बेहतर शिक्षा पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। 'निःशुल्क और अनिवार्य बालशिक्षा अधिकार अधिनियम 2009' के अंतर्गत बच्चों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हुए कहा गया है कि कोई भी लड़का या लड़की पढ़ने से वंचित न रह जाए इसके लिए 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है। इसमें विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व के साथ–साथ सभी बच्चों को भयमुक्त वातावरण में चहुमुखी विकास के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसी के अनुरुप अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू है। इसमें उपरोक्त सभी बातों का समावेश किया गया है। इसमें भी 14 वर्ष तक के बच्चे के लिये प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने की बात कही गई है। माँ से बाल अधिकार की बातें सुनकर दोनों बच्चे खिल–खिलाकर हंस पड़े और कहने लगे कि अब हमारे अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। पर उनको दुख था कि दुनिया में कई बच्चे आज भी इन अधिकारों से वंचित है।

अभ्यास के प्रश्न

J8B455

1. निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(अ) छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग ने प्रदर्शनी का आयोजन क्यों किया ?
(ब) प्रदर्शनी में क्या दिखाया गया था ?
(स) पिता जी ने प्रदर्शनी में बच्चों को क्या बातें समझाई ?
(द) बच्चों को कौन से बाल अधिकार प्राप्त होने चाहिए ? लिखिए।
(इ) बाल अधिकार अधिनियम के बारे में लिखिए ?

2. 'बच्चों के अधिकार' पाठ आपने पढ़ा। पाठ के आधार पर उन अधिकारों की एक सूची बनाइए –

1. टीकाकरण
2. शिक्षा
3. खेल व मनोरंजन
4. क्रूरता से बचाव
5. जोखिमवाले कामों से बचाव
6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता
7. परिवार में प्यार
8. लड़का–लड़की की समानता
9. सुपोषण–दूध, आहार
10. आश्रय
11. अभिव्यक्ति
12. सुरक्षा

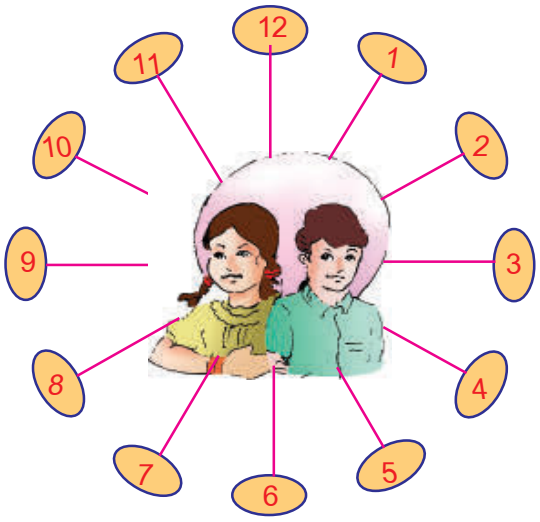

3. नीचे दिए चित्रों के सामने सही कथन का क्रमांक डालिए –

(अ) स्वास्थ्य और देखभाल का अधिकार	
(ब) शिक्षा का अधिकार	
(स) समानता का अधिकार	
(द) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशेष देखभाल का अधिकार	
(इ) खेलने का अधिकार	
(फ) कठोर श्रम से बचाव का अधिकार	
(क) अमानवीय व्यवहार/अत्याचार से बचाव का अधिकार	
(ख) सुरक्षा का अधिकार	
(ग) अभिव्यक्ति का अधिकार	

4. अपने आसपास रहनेवाले दस बच्चों से बात कर उनके बारे में जानकारी नीचे दी गई तालिका में एकत्रित कीजिए– कॉलम क्र. 4 से 12 की जानकारी हाँ या न में लिखें–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क्र.	नाम	आयु	उसे घर पर प्यार मिलता है।	स्कूल जाता/जाती है।	बीमार होने पर उसका इलाज करवाते हैं।	वह बड़ों से बिना डरे बात कर लेता/लेती हैं।	उसे खेलने दिया जाता है।	उससे घर पर या बाहर मारपीट तो नही की जाती	उससे बहुत अधिक मेहनत करवाते है।	उसे भोजन पेट भर मिलता है	उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता।
1.											
2.											
3											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											